HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर — दिनाँक-21.09.2022

प्रभावी पैरवी कर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 25000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनाँक 17/06/2015 को थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 909/15 धारा-354 भा0द0सं0 व 08 पोक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त देवेंद्र पुत्र महीपाल निवासी खड़ेही लोधन थाना मुस्करा को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वारा 04 वर्ष का कठोर कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।